सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 34/2018 (2018/00098)

**वादीगण**

1. छीगनाराम पुत्र बाघाराम गुर्जर
2. मोहनराम पुत्र बाघाराम गुर्जर
3. भंवरलाल पुत्र मोटाराम
4. मूलाराम पुत्र मोटाराम
5. गुलाराम पुत्र मोटाराम
6. जगूराम पुत्र मोटाराम
7. बजरंगलाल पुत्र देवाराम
8. कानाराम पुत्र देवाराम
   सभी निवासीयान जिलिया

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जिलिया ग्राम मारोठ तहसील नावां
2. जरिए संरक्षक सदस्य तहसीलदार कुचामनसिटी
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

**दावा इस्तकरार हक**
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955**
**उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।**

## निर्णय

दिनांक: 16.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण एक ही खानदान व परिवार के सदस्य है। सजरा खानदान इस प्रकार है।

हेमाराम
1. बाघाराम (मृत)
   1. मोटाराम (मृत)
      1. भंवरलाल
      2. मूलाराम
      3. गुलाराम
      4. जगूराम
   2. छीगनाराम
   3. मोहनराम



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

2. उदाराम (मृत)
   1. देवाराम (मृत)
      1. बजरंगलाल
      2. कानाराम

गांव जिलिया की सरहद में कृषि भूमि गत खसरा नं0 20 रकबा 56 बीघा 11 बीस्वा भूमि स्थित रही है। जिसके नवीन भू प्रबन्धक में नवीन खसरा नं0 406 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 407 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 408 रकबा 9.08 है0 जुमले 9.15 है0 कायम हुए है।

उपर्युक्त भूमि पर वक्त जागीर वादीगण के पूर्वज बाघाराम, उदाराम पुत्र हेमाराम द्वारा हासल पर लेकर आजीवन बतौर जायज कृषक काबिज रहे तथा जागीर पुर्नग्रहण के पश्चात उनके द्वारा निश्चित लगतान सीधे सरकार में जमा करवाया जाता रहा अर्थात रा0का0अधि0 1955 के लागू होने के वक्त उससे पहले से बाधाराम, उदाराम बतौर कृषक काबिज रहने से उनके नाम खातेदारी दर्ज होती रही है।

बाघाराम व उदाराम दोनो भाईयों ने अपने जीवितावस्था में ही इस भूमि पर नया कुआ निर्माण कर लिया तथा उक्त कुआ को विधुतीकृत किया गया तथा दोनो भाईयों ने रहवासी ढाणी, झूपे, छपपर इत्यादि बनाए तथा परिवार सहित रहवास कर रहे थे। बाघाराम के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र मोटाराम, छीगनाराम, मोहनराम बतौर उत्तराधिकारी काबिज हुए तथा मोटाराम का स्वर्गवास होने के बाद उनके हक–हकुक की भूमि पर वादीगण भवंरलाल, मूलाराम, गुलाराम व जगूराम बतौर उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे है तथा उदाराम जी के स्वर्गवासोपरान्त उनके पुत्र देवाराम बतौर उत्तराधिकारी काबिज रहे तथा देवारामजी का स्वर्गवास होने पर उनके हक की सम्पूर्ण भूमि पर उनके वारिसान वादीगण बजरंगलाल, कानाराम काबिज चले आ रहे है।

वादीगण की उपर्युक्त भूमि में निम्नानुसार हक व अधिकार है:–

| खसरा नम्बर | रकबा | हक हिस्सा |
|---|---|---|
| 406 | 0.01 है0 | 1/4 हिस्सा वादी बजरंगलाल का |
| 407 | 0.06 है0 | 1/4 हिस्सा वादी कानाराम का |
| 408 | 9.08 है0 | 1/6 हिस्सा वादी छीगनाराम का |
| | | 1/6 हिस्सा वादीगण भंवरलाल, मूलाराम, गूलाराम के |
| | 9.15 है0 | |

नये भू प्रबन्ध में कुए के खसरा न0 406 व ढाणी के खसरा नं0 407 व खेत के खसरा नं0 408 कायम किए है।

उपखण्ड अधिकारी
कूचामन सिटी (नागौर)

उपर्युक्त कृषि भूमि में बाबत वादीगण ने उपर्युक्त हक हिस्सानुसार माह जून 2011 में वांछित तस्दीक करने हेतु हल्का पटवारीजी को दिनांक 11.09.2011 को कहा तो उन्होने इंकार कर दिया तथा उपर्युक्त भूमि के खाते में वादीगण अथवा उनके पितागण का नाम ही दर्ज होने की जानकारी दी तथा प्रतिवादी सं0 1 के मंदिर सीतारामजी के नाम दर्ज होना बताया।

ताबाद वादीगण ने आवश्यक नकलात जिला अभिलेखागार से प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि गत खसरा नं0 20 की खातेदारी इन्द्राज संम्वत 2045 तक वादीगण के, पूर्वज बाघाराम, उदाराम के नाम निरन्तर दर्ज होता रहा है लेकिन नवीन भू प्रबन्ध कार्यवाही सन 1986–1990 की अवधि के बीच भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा खातेदार बांघाराम, उदाराम का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी वैध दस्तावेज के आधार पर खातेदार को सूचना दिए बिना मनमर्जी से हटा दिया तथा मंदिर सीतारामजी वाके देह (जिलिया) के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जो सरासर गलत व असंवैधनिक कार्यवाही है। भू प्रबन्ध अधिकारियों को पूर्व से अभिलिखित खातेदार की खातेदारी अधिकार समाप्त करने व नवीन व्यक्ति संस्था के नाम खातेदारी प्रदान करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था। बिना क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खातेदारान बाघाराम, उदाराम का नाम हटाकर उनकी पीठ में छूरा घोपा गया उनके अधिकार ही समाप्त कर दिये जो प्राकृतिक न्याय व विधि के नियमों के विपरित है तथा स्वत नल व वोईड बिना किसी नामान्तरकरण को भूमि प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी नं0 1 नाम इन्द्राज किया गया।

यह भी उल्लेखनीय है कि गांव जिलिया की आबादी के भीतर प्रतिवादी नं0 1 नामक कोई मंदिर ही अस्तित्व में नहीं है, फिर भी बिना किसी संस्था–मंदिर अस्तित्व कें मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज करना स्वतः ही अवैध व शून्य है। जबकि स्वयं भू प्रबन्ध अधिकारियों ने मृतक खातेदार बाघाराम की मृत्यु के बाद फौतगीनामान्तरकरण का नामान्तकरण सं0 39 दिनांक 12.12.1986 स्वीकृत किया गया व मोटाराम, छीगनाराम, मोहनराम को खातेदार अभिलिखित किया गया है।

वादीगण की इस्तदुआ निम्नवत है':–

ग्राम जिलिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं0 20 के नवीन खसरा नं0 406 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 407 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 408 रकबा 9.08 है0 जुमले 9.15 है0 में 1/4 हिस्सा का वादी बजरंगलाल, छीगनाराम, 1/4 हिस्सा का वादी कानाराम, 1/6 हिस्सा का वादी छीगनाराम, 1/6 हिस्सा का वादी मोहनराम व 1/6 हिस्सा का वादी भंवरलाल, मूलाराम, गुलाराम, जगूराम काबिज खातेदार कृषक है इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 सादिर फरमाई जावें।

उपर्युक्त खसरा नम्बरान की भूमि के खाते से प्रतिवादी नं0 1 का नाम रेकर्ड से हटाकर वादीगण के नाम उपर्युक्त हिस्सानुसार रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु सक्षम अधिकारियों को आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 17.10.11 को प्रतिवादी अनुपस्थित होने पर को एक पक्षीय की गई। दिनांक



उपखण्ड अधिकारी
कोटपुतली (जयपुर)

08.01.16 को साक्ष्यवादी गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत, शामिल मिसल है। दिनांक 09.05.2016 को लोक अदालत केम्प कोर्ट जिलिया में वादीगण व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने पर वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज किया गया। दिनांक 21.03.2018 को वकील वादी की बहस सुनकर वाद को पुनः बरामद किया गया।

वकील वादी ने बहस सुनाई, दौराने बहस कथन किया की खुद काश्त अगर उक्त भूमि मंदिर की कभी रही हो तो भी संवत 2008 से पूर्व उक्त भूमि के खातेदार अधिकार बाघाराम, उदाराम पुत्र हेमाराम को कानूनन प्राप्त हो गये थे और डोलीदार जागीरदार तमाम जागीर पुनर्ग्रहण अधिकनियमे के तहत स्वतः समाप्त हो गये। वादीगण ने उक्त भूमि की वांछित नकलात हल्का पटवारी से व संबंधित कार्यालय से प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही सन 1986–90 की अवधि के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारीयों की बिना किसी सूचना नोटिस के बिना किसी आधार व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि खसरा नं0 406, 407, 408 रकबा 9.15 है0 को मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जिलिया ग्राम मारोठ के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी जो कतई क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही है एवं स्वतः ही नल एण्ड बोईड है। "प्रस्तुत उक्त नजीरें पेश की जाकर Bal Krishan V/s Board of Revenue & others Rajasthan Tenancy Act, 1955 Section 15 – Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jaris Act, 1952, Sec. 9 & 10 (RRD 2000 Page No. 14 (HIGH COURT) माननीय हाई कोर्ट राजस्थान द्वारा उपर्युक्त निम्न नजीरे से माफी पुनर्गहण के पश्चात मुर्ति मंदिर के कोई अधिकार नही रह जाते है। (RRD 2000 Page No. 189 (HIGH Court), (RRD 2000 Page No. 109 (HIGH Court), (RRD 2000 Page No. 570 (HIGH Court), (RRD 1993 Page No. 697 (HIGH Court) जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 में प्रभाव में आयसा। उक्त अधिनियम की धारा 9 व 10 तथा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार मंदिर मुर्ति की माफी रिज्यूम हो जाने पर राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदार काश्तकार स्वतः खातेदार बन गये। इस संबंध में आरएलआर 2000 (1) पेज 69 में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :– Raj Land Reforms and Resumption of jagirs Act, 1952 secs. 9 & 12 – Maufi Land of Deity – if the name of tenant is recorded in revenue records as khatedar or under any caption the tenant becomes khatedar virtue of sec. 15 of Rajasthan tenancy Act even if the land belonged to Deity – in the present case the land bing cultivated by petitioner ever since year 1949 and in year 1952 he was recorded as tenant cultivating the land therefore, u/ sec. 9 of Jagirs act, he had become khatedar – thus, in view of provisions of secs. 9 & 10 of jagirs act and sec 15 of tenancy act petitioner acquired status of khatedar tenant – order of Revenue quashed. आर एल आर 2000 (1) पेज 595 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :– Rajasthan land reform and Resumuption of jagirs act, 1952, Secs. 9 & 10 – Rajashtan Tenancy Act, 1955& Sec.15- Maufi land resumed in 1963- Petitioners were in possession of land since before resumption and for more than 40 years at the time of filing suit and were paying rent in the shape of munafa – Decree of possession passed by SDO against petitioners were in



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

possession without and authority of law – said secree upheld even by board of revenue held in view of changed position of law as laid dowan by supreme court in deepa,s Case (1996) 1 SSC 612, decree/Judgement of courts below cannot be upheld and as such set aside."

बाद बहस वादी का वाद पत्र संलग्न दस्तावेज, प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि मारवाड टिनेन्सी एक्ट 1949 लागु होने के वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 से पूर्व तत्कालिन जागिरदार ठिकाना से वादीगण के पिता व दादा के समय से लेकर उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद वादीगण लगातार काबिज खातेदार काश्तकार है। वक्त सेटलमेंट 1986 से 1990 की अवधि में मंदिर के नाम की गई है जबकि सेलटमेंट से पूर्व वादीगण के पूर्वज खातेदार थे। विद्वान वकील की बहस व प्रस्तुत रूलिग्स व वादीगण के वाद व दस्तावेज का अवलोकन व मनन से न्यायालय का मत है कि केवल मंदिर के नाम खातेदारी होने से खातेदारों को खातेदारी से महरूम किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वादी का वाद काबिल स्वीकार हाने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

## आदेश

ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 406 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 407 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 408 रकबा 9.08 है0 जुमले 9.15 है0 में 1/4 हिस्सा का वादी बजरंगलाल, 1/4 हिस्सा का वादी कानाराम, 1/6 हिस्सा का वादी छीगनाराम, 1/6 हिस्सा का वादी मोहनराम व 1/6 हिस्सा का वादी भंवरलाल, मूलाराम, गुलाराम, जगूराम को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं0 406, 407, 408 में से प्रतिवादी नं0 1 मंदीर श्री सीताराम जी महाराज जिलिया का नाम हटाया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 16/05/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)